न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या	:—	90/2021
CIS No.	:—	TS/90/2021
CNR No.	:—	BRWC22–000140–2021

विक्रमा ठाकुर बनाम् **सूदीस ठाकुर एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
28.04.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 16.03.2022 के निस्तारण पर बल दिया गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**—16.03.2022 प्रार्थनापत्र दिनांक 16.03.2022 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण पर सम्मन का तामीला नहीं हो पा रहा है। प्रतिवादीगण पर तामीला जरिये प्रकाशन कराया जाए। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण पर उभय प्रकार से तामीला हेतु पैरवी की गयी है। रजिस्ट्री रसीद अभिलेख पर उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण पर तामीला नहीं हुआ है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रतिवादीगण पर सम्मन का तामीला द्वारा प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। वादी को आदेशित किया जाता है कि वह गजट का प्रकाशन किसी ऐसे समाचारपत्र जिसका परिचालन सामान्यत: प्रतिवादीगण के निवास स्थान पर होता हो में प्रकाशित करावें। वादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें। अभिलेख वास्ते प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक—20.06.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	